न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 233/2021

प्रार्थीगण :–

1. मंगलाराम पुत्र हरजीराम, जाति माली, आयु 64 वर्ष।
2. गोरखचन्द पुत्र हरजीराम जाति माली आयु 57 वर्ष।
3. श्रीमती जड़ावदेवी पत्नि मांगीलाल जाति माली आयु 71 वर्ष ।

सभी निवासीयान बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (राज)

बनाम

विप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रार्थीगण करणसिंह सोलकी
2. सरकारी पैरोकार

आदेश दिनांक :–24.12.2021

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि प्रार्थीगण अपने खातेदारी खेत खसरा नंबर 24 मौजा चिरडाणी से पचपदरा मुगडा ग्रामीण कटाण मार्ग मौजा चिरडाणी की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नंबर 312/21 मौजा चिरडाणी में से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, अनुसार रास्ता घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व/2020/2023 दिनांक 30.11.2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा चिरडाणी के खेत खसरा न0 24 जो प्रार्थीगण के नाम खातेदारी भूमि है जिसमे आवागमन हेतु प्रार्थीगण द्वारा खसरा न0 312/21 में से चाही जाने पर उक्त खसरे में से प्रस्तावित की [illegible] धिक निकट एवं उपयुक्त है। जो प्रतिबंधित श्रेणी की भू[illegible] भूमि बनती है । जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 दर 193410/ [illegible] बीघा है। मौके पर 30 फीट के रास्ते हेतु कुल रकबा 0–05 भूमि बनती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:36:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण एवं राजकीय पेरोकार को सुना गया, प्रार्थीगण ने तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 30.11.2021 के अनुसार रास्ता आवागमन के लिए प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने के लिए निवेदन किया गया तथा पेरोकार सरकार ने भी तहसीलदार, पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी

रास्ता प्रार्थीगण से नियमानुसार डीएलसी रेट की देय दुगनी राशि जमा कराने पर दिया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है। हमनें पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । प्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार एवं तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 30.11.2021 के अनुसार खसरा नंबर 24 मौजा चिरडाणी रो पचपदरा मुगडा ग्रामीण कटाण मार्ग मौजा चिरडाणी की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नंबर 312/21 मौजा चिरडाणी में से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु नक्शा मानचित्र पुश्त पर अंकित बरंग लाल के अनुसार अवलोकन किया गया। इसके अलावा प्रार्थीगण के आवागमन के लिए अन्य कोई विकल्प में रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार, पचपदरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे मौका एवं रेकार्ड से जाचं की गई जिसके अनुसार कटान रास्ता से न्यूनतम दूरी प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु 30 फीट चौडा रास्ता दिये जाने पर रास्ते की भूमि 5 विस्वा होती है। रास्ते की स्थिति रिपोर्ट की पुश्त पर अंकित नजरी मानचित्र में दर्शाए गये अनुसार है। चुंकि प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु चाहा गया है। इस संबंध में सयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के द्वारा राजकीय भूमि में से रास्ते के लिए प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के आवेदन पत्र को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार कर खसरा नंबर 24 मौजा चिरडाणी से पचपदरा मुगडा ग्रामीण कटाण मार्ग मौजा चिरडाणी की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नंबर 312/21 मौजा चिरडाणी में से 30 फीट चौडा रास्ता सलग्न तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त फर्द मौका दिनांक 30.11.2021 में चिन्हित बरंग लाल, के अनुसार रकबा 0–05 बीघा भूमि रास्ता स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण इस हेतु डी.एल.सी रेट 386280/– प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए प्रस्तावित रकबा 0–05 प्रभावित भूमि की राशि 96570 रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति के रूप में राशि रूपये 193140/– रूपये राज्य सरकार के खाते में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर ही तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की [illegible] करें। मौका रिपोर्ट दिनांक 2.11.2021 में चिन्हित किया गया नक्शा [illegible] निर्णय [illegible] समझ कर साथ पढा जाएं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:36:26 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा